पत्र सं०–6 एस०एस०(6)55 / 2026– 3884/

# बिहार सरकार

# डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुभाष नारायण, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–....23/..07.. / 2026.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **सात निश्चय–2 के तहत नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट के तहत कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना, जिसमें भारत सरकार का अंशदान द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना लागत रुपये 56,88,42,000/– (रुपये छप्पन करोड़ अठासी लाख बयालीस हजार) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा रुपये 28,44,21,000/– (रुपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार) मात्र के अंशदान के रूप में कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय–2 के तहत नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट के तहत कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना, जिसमें भारत सरकार का अंशदान द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना लागत रुपये 56,88,42,000/– (रुपये छप्पन करोड़ अठासी लाख बयालीस हजार) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा रुपये 28,44,21,000/– (रुपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार) मात्र के अंशदान के रूप में कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

2. इस योजना के माध्यम से बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन का स्थापना करना है, जिससे दुग्ध उत्पादकों से संग्रहित दुग्ध को शीघ्रता से निर्धारित तापमान तक ठंडा करना, दुग्ध की गुणवत्ता एवं ताजगी बनाये रखना और उसमें जीवाणु वृद्धि को रोकना, दुग्ध सहकारी

9

समितियों में संग्रहित दुग्ध को सुरक्षित रूप से प्रसंस्करण संयंत्र तक पहुँचना, दुग्ध उत्पादकों को सीधे दुग्ध का संग्रहण कर उसकी गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण एवं पारदर्शी रिकॉडिंग सुनिश्चित करना तथा दुग्ध सहकारी समितियों, बी०एम०सी०/ चिलिंग सेन्टर से लेकर डेयरी स्तर तक गुणवत्ता नियंत्रण की सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करना है।

3. इस योजना के कार्यान्वयन से दुग्ध को कम समय में ठंडा कर उसकी गुणवत्ता को कायम रखना है। वैज्ञानिक परीक्षण एवं पारदर्शी रिकॉडिंग हो सकेगा।

4. मत्स्य, पशु एवं डेयरी, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक--23.09.2025 को Project Screening Committee (PSC) की बैठक के द्वारा बिहार कॉपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लि0 (कॉम्फेड), पटना डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (गव्य विकास निदेशालय), बिहार, पटना के तहत कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना, जिसमें भारत सरकार का अंशदान रु० 2844.21 लाख (रुपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार) एवं राज्य सरकार का अंशदान रु० 2844.21 लाख (रुपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार) अर्थात कुल लागत मूल्य रु० 5688.42 लाख (रुपये छप्पन करोड़ अठासी लाख बियालीस हजार) मात्र के स्वीकृति के परियोजना प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

5. मत्स्य, पशु एवं डेयरी, मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No.4-24/2023-DP (E-26391) दिनांक–28.09.2025 के माध्यम से डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के कॉम्फेड से संबंधित परियोजना प्रस्ताव पर Project Screening Committee (PSC) की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

6. महाप्रबंधक (अभियंत्रण), के पत्र संदर्भ संख्या–2143 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट के तहत कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना हेतु कुल लागत रुपये 5688.42 लाख अनुमानित है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान रुपये 2844.21 लाख (रुपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार) की स्वीकृति दिनांक–23.09.2025 को प्रदान की गयी है।

7. कॉम्फेड, पटना के पत्रांक–10620 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा योजना की स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसके फलस्वरूप विभागीय राज्यादेश संख्या–1148 दिनांक 02.03.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी पर निर्णय/सहमति नहीं दिये जाने के फलस्वरूप राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में नहीं हो सकी।

8. इस योजना के तहत भारत सरकार से स्वीकृत कुल परियोजना के लागत मूल्य रु० 5688.42 लाख में से कॉम्फेड को सीधे रुपये 2844.21 लाख राशि प्राप्त है एवं शेष राशि रु० 2844.21 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना है।

9. इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से बजट उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

10. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यकारी दिशा–निर्देश विभाग द्वारा समय–समय पर अलग से निर्गत किया जायेगा।

11. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. इस योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

13. इस योजना अंतर्गत कॉम्फेड, पटना को राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी0एल0 खाता में किया जायेगा।

14. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक (गव्य) द्वारा कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

15. कॉम्फेड द्वारा इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों का सम्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर कराया जायेगा।

16. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

17. दिनांक–17.06.2026 को सम्पन्न लोक वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6)55/2026 के पृष्ठ 13–11/प०.

9

18. दिनांक–08.07.2026 को मद संख्या–08 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है (पृष्ठ–07 / टि०).

19. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)55 / 2026 के पृष्ठ–23 / टि० तथा डायरी सं०–484, दिनांक–21.07.2026.

20. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

23.7.26

(सुभाष नारायण)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)55 / 2026–3884 / पटना–15, दिनांक–......../......./2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)55 / 2026–3884 / पटना–15, दिनांक–23/07/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)55 / 2026–3884 / पटना–15, दिनांक–23/07/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना / निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)55 / 2026–3884 / पटना–15, दिनांक–23/07/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)55 / 2026–3884 / पटना–15, दिनांक–.23/.07./ 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ सहायक आयुक्त (डी०डी०), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)55 / 2026–3884 / पटना–15, दिनांक–.23/.07./ 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–08.07.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–08 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)55 / 2026–3884 / पटना–15, दिनांक–.23/.07./ 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)55 / 2026–3884 / पटना–15, दिनांक–.23/.07./ 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)55 / 2026–3884 / पटना–15, दिनांक–.23/.07./ 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

# अनुलग्नक—1

वित्तीय वर्ष 2026—27 में नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट के तहत कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना हेतु व्यय विवरणी :—

(राशि लाख में)

| विपत्र कोड | योजना विवरणी | इकाई | दर | कुल अनुमानित लागत | राज्य सरकार का अंशदान (50%) | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | कोषागार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| विपत्र कोड 02—2404001020116, विषय शीर्ष—0116.31.05 —सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद | बल्क मिल्क कूलर | 43 | 19.44 | 835.92 | 417.96 | निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना। |
| | डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई | 4452 | 1.0 | 4452.00 | 2226.00 | | |
| | दूध मिलावट जाँच मशीन | 89 | 4.5 | 400.5 | 200.25 | | |
| | | | **कुल :—** | **5688.42** | **2844.21** | | |

**(रुपये छप्पन करोड़ अठासी लाख बयालीस हजार)**

3884
23/07/26

23.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar